



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102023-249120
CG-DL-E-03102023-249120

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4127]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945

No. 4127]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4298(अ).— केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 अक्टूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के, जहां तक उसका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची के क्रम संख्यांक 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियां, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 से संबंधित है, उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एन-45011/23/2020-डीएएस (जिल्द-1)-भाग (1)]

संजीव शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd October, 2023

S.O. 4298(E).— In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints the 3rd day of October, 2023 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 29 and the entries thereto in the schedule to the said Act relating to the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, shall come into force.

[F. No. N-45011/23/2020-DAS (Vol-I)-Part (I)]

SANJIV SHANKAR, Jt. Secy.